बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 6 जनवरी, 2010

विषयः– सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी)के तहत संस्थित कार्यवाही का कुप्रभाव के संबंध में।

सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि किसी सरकारी सेवक की सेवा निवृति के उपरांत बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित रहने या आपराधिक कार्यवाही संस्थित रहने की स्थिति में सेवाकाल की देय प्रोन्नतियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं।

चूँकि सेवाकाल के आरोपों के कारण ही किसी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित या आपराधिक कार्यवाही संस्थित होती है, अतः जिस प्रकार सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही/संस्थित आपराधिक कार्यवाही के कारण विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष संकल्प सं0 7457 दिनांक 11.09.02 के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में रखा जाता है उसी प्रकार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत संचालित या सम्परिवर्त्तित विभागीय कार्यवाही या संस्थित आपराधिक कार्यवाही के कारण भी विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखने का आधार होता है।

अतः राज्य सरकार ने संकल्प सं0 7457 दिनांक 11.09.2002 के क्रम में, यह निर्णय लिया है कि यदि किसी सरकारी सेवक की सेवा निवृति के उपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अर्न्तगत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है या सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही सेवा निवृति के उपरान्त पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत कार्यवाही में सम्परिवर्तित की जाती है अथवा कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की जाती है तो ऐसे सेवानिवृत सरकारी सेवकों के सेवाकाल की देय प्रोन्नतियो के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया भविष्य में आयोजित की जानेवाली सभी विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा तब तक अपनाई जाती रहेगी जब तक कि संबंधित सेवानिवृत सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/
(अजय कुमार चौधरी)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम– 45/2008../ पटना, दिनांक जनवरी, 20

प्रतिलिपिः– अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारवाग पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक प्रकाशनार्थ और इसकी 500(पॉचसौ) प्रतियॉ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज हेतु प्रेषित।

ह0/

(अजय कुमार चौधरी)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम– 45/2008.....170.................................../ पटना, दिनांक 6 जनवरी, 2010

प्रतिलिपिः– सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/लोकायुक्त का कार्यालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.1.2010

(अजय कुमार चौधरी)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक...64-2......../स्था0दिनांक 29 जनवरी 2010ई0

प्रतिलिपि सभी कार्यालय प्रधान, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.10

जिला स्थापना उप समाहर्ता

मधेपुरा।

28.1.10

28.1.10

D:/AMAR NATH/2010/APRIL/LETTER